

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)  
लखनऊ :दिनांक: 16 जनवरी, 2023

**::आदेश::**

वर्ष 2022-23 के चतुर्थ त्रैमास से सम्बन्धित कर निर्धारण कार्यालयों का आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जा रहा है:-

**उपायुक्त /सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी (क0नि0) एवं सम्परीक्षा दल को निर्देश:-**

1. सम्परीक्षा, कर निर्धारण कार्यालयों की वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित पत्रावलियों की, की जायेगी।
2. डिप्टी कमिश्नर/असि0 कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण), निर्धारित सम्परीक्षा अवधि में निस्तारित समस्त कर निर्धारण वादों एवं एक लाख से ज्यादा के रिफण्ड मामलों की शत-प्रतिशत सूची निम्न प्रारूप-1 पर सम्बन्धित पत्रावलियों के साथ सम्परीक्षा दल को पहुंचते ही अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे। सम्परीक्षा में ऑनलाइन उपलब्ध कतिपय सूचना वांछित होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तदनुसार उपलब्ध/मिलान कराया जायेगा।

**प्रारूप-1 (कर निर्धारण )**

क्र0सं0	व्यापारी का नाम	वर्ष	प्रा0/के0	आदेश की तिथि	सकल क्रय/विक्रय धन	आरोपित कर

3. सम्परीक्षा दल प्रभारी सम्परीक्षा कार्यक्रम के प्रथम दिवस को वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर से सम्पर्क करेंगे एवं एडीशनल कमिश्नर ((लेखा) वाणिज्य कर, मुख्यालय को फोन द्वारा सूचित करते हुए लिखित रूप से स्पष्ट आख्या सहित सूचना भेजेंगे।
4. महालेखाकार द्वारा जिन कर निर्धारण कार्यालयों की अवधि 2020-21 की सम्परीक्षा सम्पादित की जा चुकी है उन कार्यालयों की सम्परीक्षा मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-202 दिनांक 26.05.2010 के प्रस्तर-5 के क्रम में महालेखाकार सम्परीक्षा अवधि के बाद की अवधि की सम्पादित की जाएगी।
5. सम्परीक्षा दल द्वारा समय से पहुंच कर निर्धारित समय के अन्दर ही समस्त अभिलेखों की अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत सम्परीक्षा पूर्ण करनी है। सम्परीक्षा अवधि बढ़ायी नहीं जायेगी। यदि सम्परीक्षा अवधि में अवकाश पड़ रहा है तो सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहते हुए सम्परीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।
6. सम्परीक्षा दलों द्वारा सम्परीक्षा के रफनोट्स जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय प्रभारी से जारी रफनोट्स पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या- आ0सं0-परिपत्र-16 (4) 2005-06/1497/वा0क0 दिनांक 16.02.2006 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालयों की आन्तरिक सम्परीक्षा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-16 (4) परिपत्र सामान्य- 2002-03/85 दि0 19.05.2003 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।
8. सम्परीक्षा दल के सदस्यों को सम्परीक्षा अवधि में सामान्यतः किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी सदस्य को अवकाश पर जाना पड़े तो वह अपना लिखित प्रार्थनापत्र सम्परीक्षा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अवकाश पर जाने के पूर्व उपलब्ध करायेंगे जो प्रार्थना पत्र को अविलम्ब एडीशनल कमिश्नर लेखा मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।
9. सम्परीक्षा दल के सदस्यों द्वारा सम्परीक्षा के दौरान जो भी आपत्ति उठाई जाती है उसमें जीएसटी/वैट अधिनियम तथा परिपत्र एवं न्यायिक निर्णयों जिनका उल्लंघन हो रहा है, का उल्लेख अवश्य किया जाय।

७

10. सम्परीक्षा दल प्रभारी, सम्परीक्षा कार्यक्रम के मध्य निर्धारित कार्यालय कार्य दिवसों में, सम्प्रेक्षित कार्यालयों के प्रतिवेदन आलेख तैयार कर अनिवार्यतः मुख्यालय उपलब्ध करायेंगे।

11. आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित स्थानों पर ठहरने के लिए (10 दिनों से अधिक ठहराव हेतु) व्यय किया जाना अपरिहार्य है, अतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम 27 डी (2) के परिशिष्ट 10 के क्रमांक 2 के अनुसार 10 दिनों से अधिक का अवस्थान होने पर अवस्थान की सीमा से विमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

—:आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम:—

पार्टी सं०	सम्परीक्षा दल के सदस्य	तैनाती कार्यालय	सम्परीक्षा कार्यालय	सम्परीक्षा तिथि
1	श्री सत्येन्द्र उपाध्याय, व०ले०प०(प्रभारी) श्री सन्तोष प्रसाद, व०ले०प०	वाराणसी वाराणसी	खण्ड-11 कानपुर	16.01.23 से 21.01.23 तक
			खण्ड-5 मुरदाबाद	30.01.23 से 04.02.23 तक
			खण्ड-7 मुरादाबाद	06.02.23 से 10.02.23 तक
			खण्ड-11 गाजियाबाद	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-7 झांसी	27.02.23 से 04.03.23 तक
			खण्ड-6 सहारनपुर	13.03.23 से 18.03.23 तक
			खण्ड-16 लखनऊ	20.03.23 से 25.03.23 तक
2	श्री अमिताभ सिंह, व०ले०प०(प्रभारी) श्री सौरभ गुप्ता, व०ले०प०	मुख्यालय मुरादाबाद	खण्ड-1 प्रयागराज	23.01.23 से 28.01.23 तक
			खण्ड-16 कानपुर	30.01.23 से 04.02.23 तक
			खण्ड-14 गाजियाबाद	06.02.23 से 10.02.23 तक
			खण्ड-6 आगरा	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-8 नोएडा	27.02.23 से 04.03.23 तक
			खण्ड-8 सहारनपुर	13.03.23 से 18.03.23 तक
			खण्ड-4 सहारनपुर	20.03.23 से 25.03.23 तक
3	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अरुण कुमार, व०ले०प०	आगरा मुख्यालय	खण्ड-12 अलीगढ़	23.01.23 से 28.01.23 तक
			खण्ड-20 कानपुर	06.02.23 से 10.02.23 तक
			खण्ड-4 मथुरा	13.02.23 से 17.02.23 तक
			खण्ड-1 गौ०बु०नगर	27.02.23 से 04.03.23 तक
			खण्ड-4 नोएडा	20.03.23 से 25.03.23 तक
			खण्ड-12 सहारनपुर	27.03.23 से 01.04.23 तक
4	श्री रज्जन लाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री विश्व प्रकाश, व०ले०प०	कानपुर वाराणसी	खण्ड-2 कन्नौज	13.02.23 से 17.02.23 तक
			खण्ड-13 प्रयागराज	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-8 आगरा	27.02.23 से 04.03.23 तक
			खण्ड-15 लखनऊ	13.03.23 से 18.03.23 तक
5	श्री अब्दुल राशिद, व०ले०प०(प्रभारी) श्री विजय शंकर मौर्य, व०ले०प०	गोरखपुर गोरखपुर	खण्ड-1 अम्बेडकरनगर	13.02.23 से 17.02.23 तक
			खण्ड-4 गोण्डा	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-4 प्रयागराज	27.02.23 से 04.03.23 तक
6	श्री विश्व प्रकाश, व०ले०प०(प्रभारी) श्रीमती मधु वर्मा, व०ले०प०	वाराणसी वाराणसी	खण्ड-6 वाराणसी	16.01.23 से 21.01.23 तक
			खण्ड-10 वाराणसी	23.01.23 से 28.01.23 तक
			खण्ड-18 वाराणसी	30.01.23 से 04.02.23 तक
			खण्ड-1 सुल्तानपुर	06.02.23 से 10.02.23 तक
7	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह व०ले०प०(प्रभारी) श्री सावन कुमार गुप्ता व०ले०प०	झांसी मुख्यालय	खण्ड-9 बरेली	20.03.23 से 25.03.23 तक
			खण्ड-15 कानपुर	30.01.23 से 04.02.23 तक
			खण्ड-18 आगरा	13.02.23 से 17.02.23 तक
			खण्ड-9 गाजियाबाद	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-21 लखनऊ	13.03.23 से 18.03.23 तक

4

			खण्ड-7 नोएडा	20.03.23 से 25.03.23 तक
			खण्ड-9 मुरादाबाद	27.03.23 से 01.04.23 तक
8	श्री निहाल सिंह, व0ले0प0(प्रभारी) श्री राज कुमार मद्देशिया, व0ले0प0	अयोध्या गोरखपुर	खण्ड-16 आगरा	30.01.23 से 04.02.23 तक
			खण्ड-30 कानपुर	06.02.23 से 10.02.23 तक
			खण्ड-02 कानपुर	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-1 आगरा	27.02.23 से 04.03.23 तक
			खण्ड-5 सहारनपुर	13.03.23 से 18.03.23 तक
			खण्ड-4 मुरादाबाद	20.03.23 से 25.03.23 तक
9	श्री अनूप कुमार द्विवेदी, व0ले0प0(प्रभारी) श्री राम लाल, व0ले0प0	मुख्यालय प्रयागराज	खण्ड-12 लखनऊ	13.02.23 से 17.02.23 तक
			खण्ड-14 नोएडा	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-3 गौ0बु0नगर	27.02.23 से 04.03.23 तक
			खण्ड-11 नोएडा	13.03.23 से 18.03.23 तक
			खण्ड-09 लखनऊ	27.03.23 से 01.04.23 तक
10	श्री विष्णु शंकर मिश्रा, व0ले0प0(प्रभारी) श्रीमती दीप्ति कश्यप, व0ले0प0	अयोध्या नोएडा	खण्ड-1 बस्ती	23.01.23 से 28.01.23 तक
			खण्ड-04 लखनऊ	06.02.23 से 10.02.23 तक
			खण्ड-12 आगरा	13.02.23 से 17.02.23 तक
			खण्ड-17 लखनऊ	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-21 कानपुर	27.02.23 से 04.03.23 तक
			खण्ड-07 सहारनपुर	13.03.23 से 18.03.23 तक
			खण्ड-17 आगरा	20.03.23 से 25.03.23 तक
11	श्रीमती प्रणीता दीक्षित, व0ले0प0(प्रभारी) श्रीमती मनीषा देवी, व0ले0प0	कानपुर वाराणसी	खण्ड-07 लखनऊ	06.02.23 से 10.02.23 तक
			खण्ड-1 अयोध्या	13.02.23 से 17.02.23 तक
			खण्ड-4 बाराबंकी	20.02.23 से 25.02.23 तक
			खण्ड-13 लखनऊ	27.02.23 से 04.03.23 तक
			खण्ड-2 बाराबंकी	13.03.23 से 18.03.23 तक
			खण्ड-4 अयोध्या	20.03.23 से 25.03.23 तक

o/c (मिनिस्ती एस0) 10/04/23  
आयुक्त, राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त आयुक्त, (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. सम्बंधित संयुक्त आयुक्त, (कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बंधित उपायुक्त/सहायक आयुक्त (क0नि0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बंधित वरिष्ठ लेखा परीक्षक को अनुपालनार्थ।

(शैलेश गिरि)  
अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।